

को पेश हो।

5/11/25

पत्रा पेश हुई। वादी वकील उषा वादी वकील द्वारा दावा की नोटिस करने हेतु अपनी अंडरटेकिंग दी गई। दावा की अगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादी वकील को सुना गया। अतः दावा नोटिस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा फंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल रफ्तार है।

Net
Dines
5/11/25